रजिस्टर्ड नं० एस० ३८८

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 30 अगस्त, 1971

भाद्रपद 8, 1893 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 3927/सत्रह–40/1971

लखनऊ, 30 अगस्त, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1971 पर दिनांक 29 अगस्त, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले हाई स्कूलों तथा इंटरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 कहलायेगा । संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह अधिनियम प्रथम अगस्त, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में— परिभाषायें

(क) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका संस्था के संबंध में यथास्थिति, जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है और प्रत्येक दशा में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;

(ख) "संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से है जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है ;

(ग) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी संस्था के ऐसे सहायक अनुदान से है, जिसे राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे;

(घ) किसी संस्था के संबंध में "प्रबन्धाधिकरण" का तात्पर्य प्रशासन योजना के, यदि कोई हो, अनुसार संघटित प्रबन्ध समिति से है, और इसके अन्तर्गत प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है, जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हो;

(ङ) किसी संस्था के "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक अथवा अन्य अध्यापक से है जिसके सेवायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है जो संस्था की मान्यता को या उसको किसी नये विषय में या उसकी किसी उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता की शर्तों को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में निरीक्षक के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप सेवायोजित हो;

(च) किसी संस्था के "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे गैर-शिक्षक कर्मचारी से है जिसके सेवायोजन के संबंध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता हो;

(छ) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के कुल योग से है जिनके अन्तर्गत महंगाई या अन्य भत्ता भी है;

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 2,1921

(ज) ऐसे अन्य शब्दों तथा पदावलियों के, जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में परिभाषित हैं, किन्तु यहां पर परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं ।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

3—(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का 31 मार्च, 1971 के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में वेतन उस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के संबंध में वह देय हो, आगामी माह के बीसवें दिन , अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा।

(2) वेतन का भुगतान बिना किसी प्रकार की कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों, किया जायेगा ।

निरीक्षण आदि करने का अधिकार

4—(1) निरीक्षक किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के संबंध में उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही तथा वाउचर भी हैं) मांग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए कोई निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे ।

(2) जब उप धारा (1) के अधीन कोई निदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने के लिये दिया जाय तो उसका अनुपालन इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, व विनियमों के उपबन्धों अथवा यथा स्थिति, उस की सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायेगा ।

कतिपय संस्थाओं की दशा में वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया

5—(1) प्रत्येक संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् लेखा खोलेगा जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और निरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो निरीक्षक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लेखा खोले जाने के पश्चात् निरीक्षक, यदि उसका, इस अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट दशा में अथवा जब वेतन के वितरण में प्रबंधाधिकरण की किसी चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो, तो निरीक्षक बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, परिचालित किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है।

(2) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप मे, जो राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार अनुरक्षण निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत या यदि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षता को ध्यान में रखत हुये उससे अधिक प्रतिशत के लिये निदेश दे तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निदेश दे, उक्त लेखों में, ऐसे दिनांक तक जो निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, जमा करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार के उक्त प्रतिशत में शुल्क जमा न किया जाय तो निरीक्षक आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण को छात्रों से कोई शुल्क वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है, और तदुपरान्त निरीक्षक शुल्क को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल किये गये शुल्क को उक्त लेखे में जमा करेगा ।

(3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य तत्सदृश रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान के अस्सी प्रतिशत या ऐसे उच्चत्तर प्रतिशत जो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायेगी ।

(4) उक्त लेखों में जमा की गई धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये, नहीं किया जायगा, अर्थात —

(क) 31 मार्च, 1971 के पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में देय होने वाले उक्त वेतनों का भुगतान;

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना;

और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिये छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका हो, के वेतन के भुगतान के दायित्व को पूरा करने के बाद उनके एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को संस्था पर व्यय के लिये दे दिया जायेगा ।

(5) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान उक्त लेखों से उसी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका उस बैंक में कोई लेखा न हो, तो चेक द्वारा किया जायेगा ।

(6) किसी ऐसे स्थान के संबंध में, जहां कोई अनुसूचित बैंक न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और इस धारा में किसी बैंक के लिये अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिये अभिदेश समझे जायेंगे ।

उपबन्धों तथा निदेशों का प्रवर्तन

6—(1) यदि निरीक्षक का किसी संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा 4 के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा 3 अथवा धारा 5 के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो वह सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक को यह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की जाय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिए अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिए कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाय ।

(3) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिये संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक जहां वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे—

(1) समय-समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिला कर पांच वर्ष से अधिक न हो; या

(2) किसी भी समय उक्त आदेश को विखंडित कर सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (2) की किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के संबंध में कोई रुकावट न होगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक, निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन, जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा, और विशेष रूप से, धारा 5 में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है ।

(5) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति या करण में दी गई किसी असंगत बात के होते हुये भी प्रभावी होगा ।

अपील

7—धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने के सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर निदेशक के पास की जा सकती है, और निदेशक ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे या तो उस आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक, आदेश का प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

पुनरीक्षण

8—राज्य सरकार धारा 7 के अधीन निदेशक द्वारा निर्णीत किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है, और वह उस पर ऐसा आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने या उसके अतिक्रमण की अवधि को बढ़ाने के लिये इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय ।

बोर्ड के कतिपय कार्य के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन

9—(1) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में निहित किसी बात के होते हुये भी मान्यता की शर्तों को संशोधित करने वाला कोई विनियम और किसी संस्था को किसी नये विषय में अथवा उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता देने का बोर्ड का कोई आदेश तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय ।

(2) किसी ऐसे आपत्काल में जिसमें, राज्य सरकार की राय में, यह अपेक्षित हो कि तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये, तो राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि कोई ऐसी मान्यता देने के संबंध में बोर्ड के अधिकार उसके सभापति द्वारा प्रयोग किये जायेंगे, और तदुपरान्त सभापति, उक्त अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुये भी, उक्त अधिनियम की धारा 13 में अभिदिष्ट मान्यता समिति को उसे अभिदिष्ट किये बिना ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकता है ।

(3) यदि राज्य सरकार उप-धारा (2) के अधीन कोई निदेश जारी करे तो वह, यदि उचित समझे यह भी निदेश दे सकती है कि सभापति ऐसे निकाय से परामर्श करेगा जो राज्य सरकार द्वारा तद्र्थ संघटित किया जाय ।

वेतन के संबंध में दायित्व

10—(1) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जो 31 मार्च, 1971 के पश्चात् किसी अवधि के संबंध में देय हो ।

(2) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिये उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दायित्व उपगत हो उस संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति की आय की कुर्की द्वारा वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि संस्था द्वारा देय मालगुजारी की कोई बकाया हो ।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे देयों के लिये उसके दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा ।

दंड, शास्ति तथा प्रक्रिया

11—(1) यदि धारा 4 के अधीन किसी निदेश का अथवा धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चूक की जाने के समय, चूक था अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें संस्था का प्रबन्ध और कार्य-संचालन करने का अधिकार निहित था, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, धारा 3 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दिशा में अर्थ दंड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दंड दिया जायेगा जो छः मास तक हो सकता है या अर्थ दंड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों प्रकार के दंड दिये जायेंगे ।

(2) कोई भी न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अन्वेषण करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा ।

(4) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

अपवाद

12—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निरीक्षक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के संबंध में छूट

13—इस अधिनियम की कोई बात किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या रेलवे प्रशासन द्वारा या किसी ऐसे अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा, जिसका स्वामी भारत सरकार या राज्य सरकार हो अथवा जिस पर उसका नियंत्रण हो, अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू न होगी ।

सद्भावना से किये गये कार्यों के लिये संरक्षण

14—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक, निरीक्षक, प्राधिकृत नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

कठिनाइयां दूर करने का अधिकार

15—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में, या इस अधिनियम में असंगत किसी बात के होने के कारण, कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या अनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के या इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के या विनियमों के किसी उपबन्धों का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो यह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं किया जायेगा ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथा सम्भव शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

नियम बनाने का अधिकार

16—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या क्रमिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों, परिवर्तनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के

लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, 1971

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7, 1971

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1971

17—(1) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, 1971, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (द्वितीय) अध्यादेश, 1971 तथा उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 16 जनवरी, 1971 को प्रवृत्त हो गया था ।

No. 3927/XVII—40-1971

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh High School tatha Intermedtate College (Adhyapakon tatha Anya Karmchariyon Ke Vetan Ka Bhugtan) Adhiniyam 1971 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 29, 1971.

THE UTTAR PRADESH HIGH SCHOOLS AND INTERMEDIATE COLLEGES (PAYMENT OF SALARIES OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES) ACT, 1971.

(Uttar Pradesh Act No. 24, 1971)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to regulate the payment of salaries to teachers and other employees of High Schools and Intermediate Colleges receiving aid out of the State funds and to provide for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-Second Year of the Republic of India as follows :

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Act, 1971.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on August 1, 1971.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(*a*) "Inspector" means the District Inspector of Schools, and in relation to a girls' institution, the District Inspectress of Girls' Schools or the Regional Inspectress of Girls' Schools, as the case may be, and in each case includes any other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Inspector under this Act;

(*b*) "institution" means a recognised institution for the time being receiving maintenance grant from the State Government ;

(*c*) "maintenance grant" means such grant-in-aid of an institution as the State Government by general or special order in that behalf directs to be treated as maintenance grant appropriate to the level of the institution ;

(*d*) "management", in relation to any institution, means the committee of management constituted in accordance with the scheme of administration, if any, and includes the manager or other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the institution;

(e) "teacher" of an institution means a principal, headmaster or other teacher in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government to the institution and includes any other teacher employed in fulfilment of the conditions of recognition of the institution or its recognition in a new subject or for a higher class or as a result of the opening with the approval of the Inspector of a new section in an existing class;

(f) "employee" of an institution means a non-teaching employee in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government to the institution ;

(g) "salary" of a teacher or employee means the aggregate of the emoluments, including dearness or any other allowance, for the time being payable to him at the rates approved for the purpose of payment of maintenance grant ;

(h) other words and expressions defined in the Intermediate Education Act, 1921, and not herein defined shall have the meanings assigned to them in that Act. U. P. Act II of 1921.

Payment of salary within time and without unauthorised deductions.

3. (1) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a cher or other employee of an institution in respect of any period after the ty-first day of March, 1971, shall be paid to him before the expiry of the tieth day, or such earlier day as the State Government may by general or cial order in that behalf appoint, of the month next following the month in pect of which or any part of which, it is payable.

(2) The salary shall be paid without deductions of any kind except those horised by the regulations or by any rules made under the Act or by any other for the time being in force.

Power to inspect etc.

4. (1) The Inspector may at any time, for the purposes of this Act, inspect or se to be inspected any institution or call for such information and records luding registers, books of account and vouchers) from its management with ard to the payment of salaries to its teachers or employees or give to its manage- nt any direction for the observance of such canons of financial propriety (inclu- g any direction for retrenchment of any teacher or employee or for prohibition any wasteful expenditure) as he thinks fit.

(2) Where a direction under sub-section (1) is given for retrenchment of any cher or employee, it shall be complied with in accordance with the provisions the Intermediate Education Act, 1921 and the regulations or, as the case may the conditions of his service.

Procedure for payment of salary in the case of certain institutions.

5. (1) The management of every institution shall for the purposes of disburse- nt of salaries to its teachers and employees open in a scheduled bank a separate count to be operated jointly by a representative of the management and by the spector or such other officer as may be authorised by the Inspector in that behalf:

Provided that after the account is opened the Inspector may, if he is, subject to any rules made under this Act, satisfied that it is expedient in the public interest so to do, instruct the bank that the account shall be operated by the representative of the management alone, and may at any time revoke such instruction :

Provided further that in the case referred to in the proviso to sub-section (2), or where a difficulty arises in the disbursement of salaries due to any default of the management, the Inspector may instruct the Bank that the account shall be operated only by himself or by such other officer as may be authorised by him in that behalf and may at any time revoke such instruction.

(2) The management shall deposit in the said account by such date as be specified by general or special orders by the Inspector, eighty cent, or where the State Government or an officer authorized by the te Government having regard to the money required to be disbursed, cts a higher percentage, then such higher percentage as it or he may direct, the amount received from students as fees which in accordance with the general special orders of the State Government in that behalf form part of the main- inance fund ;

Provided that where the said percentage of fees is not deposited as afo said the Inspector may by order prohibit the management from making realisation of fees from the students, and thereupon the Inspector m recover the fees (either through the teachers of the institution or in su other manner as he thinks fit) directly from the students and shall depo the fees so recovered in the said account.

(3) The entire amount of the maintenance grant and the amount of eigh per cent, or such higher percentage as the State Government or an offi authorized by the State Government may by general or special order in th behalf determine, of the grants for reimbursement of freeships and oth similar concessions shall also be paid by the State Government into th said account.

(4) No moneys credited to the said account shall be applied for any purpo except the following, namely :—

(*a*) payment of the said salaries falling due for any period up March 31, 1971;

(*b*) credit of the institution's contribution, if any, to the provident fun accounts of the teachers and employees;

and such portion of the balance in the account at the end of the mont of July each year as exceeds the aggregate of one month's salary of th teachers and employees of the institution after meeting the liability fo payment of their salaries for the period for which fees have been realis from the students shall be made over to the management for expenditu on the institution.

(5) The salary of a teacher or employee shall be paid by transfer of the amou from the said account to his account, if any, in the same bank, or if he has account in that bank, then by cheque.

(6) In respect of a place where there is no scheduled bank the provisions of th section shall apply with such modifications as the State Government may by noti fication in the *Gazette* specify, and the references in this section to bank shall in that case be construed as references to a post office savings bank.

Enforcement of provisions and directions.

6. (1) Where the Inspector on the basis of an inspection of an institu or its records or otherwise is satisfied that its management has committed defa in complying with any direction given under section 4 or with any provision of sec tion 3 or section 5 he may recommend to the Regional Deputy Director, Educa tion, that action be taken against the institution under sub-section (2).

(2) On receipt of a recommendation under sub-section (1) the Regional Dep Director, Education, may call upon the management to comply with the d direction or provision or to show cause within a week why the management shou not be superseded.

(3) Where the management fails to comply as aforesaid or to show caus or the Regional Deputy Director, Education, considers the cause shown to insufficient, he may by order supersede the management for such period not exce ing one year as may be specified in the order, and authorise any person (here after referred to as the Authorised Controller) to take over the management of t institution for the said period:

Provided that the Regional Deputy Director, Education, may where considers it necessary or expedient so to do,—

(i) extend the said period from time to time, so, however, t the period so extended does not exceed five years in the aggregate;

(ii) revoke the order at any time :

Provided further that nothing in clause (ii) of the preceding pro shall bar the passing of a fresh order under this section.

(4) On an order being made under sub-section (3) the Authorised C troller shall, to the exclusion of the management and subject only to the direction if any, of the Regional Deputy Director, Education, the Director or the St Government, exercise all the powers and perform all the functions of the mana ment, including management of the property belonging to or vested in the insti tion, and in particular, operate singly the bank account referred to in section

Provided that nothing in this section shall be construed to confe the Authorised Controller the power to transfer any such property (ex by way of letting from month to month in the ordinary course of mana ment) or to create any charge thereon (except as a condition of receipt any grant-in-aid of the institution from the State Governme

(5) Any order made or direction given under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution (including any scheme of administration) or relating to the property belonging to or vested in the institution.

Appeal.

7. An appeal against the order of the Regional Deputy Director, Education, superseding the management under sub-section (3) of section 6 may be preferred to the Director within one month from the date on which the order is communicated to the management, and the Director may after such further inquiry, if any, as he considers necessary, either set it aside or confirm or modify it and pending the disposal of appeal may stay the operation of the order on such terms, if any, as he thinks fit.

Revision.

8. The State Government may call for and examine the record of any appeal decided by the Director under section 7 for the purpose of satisfying itself as to the correctness or propriety of any order passed by him, and it may pass such order thereon as it thinks fit:

Provided that no order superseding the management of an institution or extending the period of supersession thereof shall be passed under this section unless an opportunity has been given to the management to show cause against the proposed order.

Approval of State Government for certain acts of Board.

9. (1) Notwithstanding, anything contained in the Intermediate Education Act, 1921, any Regulation amending the conditions of recognition and any order of the Board giving recognition to an institution in a new subject or for a higher class shall not have effect until it is approved by the State Government.

(2) In any emergency which, in the opinion of the State Government requires that immediate action should be taken, the State Government may direct that the power of the Board in respect of any such recognition shall be exercised by the Chairman of the Board, and thereupon the Chairman, shall, notwithstanding anything contained in the said Act, exercise such powers without referring it to the Committee for recognition referred to in section 13 of the said Act.

(3) Where the State Government issues a direction under sub-section (2) it may, if it thinks fit, further direct that the Chairman shall consult such body as may be constituted by the State Government in that behalf.

Liability in respect of salary.

10. (1) The State Government shall be liable for payment of salaries of teachers and employees of every institution due in respect of any period after March 31, 1971.

(2) The State Government may recover any amount in respect of which any liability is incurred by it under sub-section (1) by attachment of the income from the property belonging to or vested in the institution as if that amount were an arrear of land revenue due from the institution.

(3) Nothing in this section shall be deemed to derogate from the liability of the institution for any such dues to the teacher or employee.

Punishment, penalties and procedure.

11. (1) If any default is committed in complying with any direction under section 4 or with the provisions of section 3 or section 5, every person who at the time the default was committed was manager or any other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the institution shall, unless he proves that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be punishable, in the case of a default in complying with the provisions of section 3 with fine which may extend to one thousand rupees and in the case of any other default, with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this section except with the pervious sanction of the Regional Deputy Director, Education.

(3) Every offence under this section shall be cognizable, but no police officer below the rank of a Deputy Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefor without a warrant.

(4) No court below the rank of a Magistrate of the first class shall take cognizance of an offence under this section.

12. No order made or direction given by the State Government, the Director, the Regional Deputy Director, Education, or the Inspector or other officer in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

Exemption in relation to institutions maintained by local authorities, etc.

13. Nothing in this Act, shall apply to institutions maintained by a local authority or by a railway administration or any other industrial undertaking owned or controlled by the Government of India or the State Government.

Protection of acts in good faith.

14. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Director, the Regional Deputy Director, Education, the Inspector, the Authorised Controller or any other person in respect of anything which in good faith is done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, order or direction made or given thereunder.

Powers to remove difficulties.

15. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or by reason of anything contained in this Act, the State Government may, as occasion requires, by notification in the *Gazette*, make such incidental or consequential provisions, including provisions for adapting or modifying any provision of this Act or of the Intermediate Education Act, 1921, or the regulations, but not affecting the substance, as it may think necessary or expedient for the purposes of this Act.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature.

Power to make rules.

16. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the official *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Repeal and Savings.
U. P. Ordinance no. 3 of 1971.
U. P. Ordinance no. 7 of 1971.
U. P. Ordinance no. 10 of 1971.

17. (1) The Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Ordinance, 1971, the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) (Second) Ordinance, 1971 and the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) (Amendment) Ordinance, 1971, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had come into force on January 16, 1971.

आज्ञा से,

प्रेम प्रकाश,

सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० नं० 133 गजट (हिन्दी)—1971—1960+475 (मे०)।